be examined, if found necessary, based on the recommendations of the National Productivity Council.

(c) Generally, and subject to exigencies of work, transfer out of Delhi is ordered on the basis of the length of stay Normally, officers are required to complete a tenure of three years at outstations.

(d) J Es (Civil and Electrical) and Sectional Officers (Horticulture) belong to different disciplines and, although the pay scales of the two categories have generally been equivalent, there are several significant differences in the recruitment rules, duties and responsibilities prescribed, respectively, for them.

रेपसीड तेल का आयात

3767. **श्री शिव कुमार मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कितनी मात्रा मे रेपसीड तेल का आयात किया गया और इस के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई तथा किस-किस देश से इसका आयात किया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी-कितनी मात्रा मे रेपसीड तेल वितरित किया गया और उक्त अवधि के दौरान उनमे से प्रत्येक मे कितनी-कितनी राशि वसूल की गई ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने राज्य-सरकारो मे प्रशासनिक और सम्हलाई प्रभार के रूप मे प्रति टन कितनी राशि वसूल की ;

(घ) रेपसीड को इधर-उधर लाने जाने मे प्रति वर्ष कितने मूल्य की कितनी मात्रा का नुकसान हुआ ; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरूद्ध रेपसीड तेल का दुरूपयोग करने के सबंध मे कितनी शिकायते प्राप्त हुई है और इस संबध मे क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए अपरिष्कृत रेपसीड तेल की मात्रा तथा उसके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है (इसमे आर॰ पी॰ ए॰ स्रोतों से किया गया कुछ आयात शामिल है) :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (मी॰ टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984–85	2,81,453	230.92
1985–86	1,66,098	128.29
1986–87	2,34,699	102.22

जिन देशों से विक्रेताओं द्वारा अपरिष्कृत रेपसीड तेल का पोत-लदान किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

कनाडा, पोलेड, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलेड, बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस, चीन तथा डेनमार्क ।

(ख और (ग) आयातित रेपसीड तेल के परिष्करण तथा उसे टीनों में बंद किए जाने के बाद राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रो को गत तीन

वर्षों के दौरान दी गई मात्रा इस प्रकार है :—

मात्रा : मी० टन में (अनन्तिम)

तेल वर्ष	1984–85	1985–86	1986–87
नवम्बर–अक्तूबर	1,37,945	1,05,176	1,65,227

प्रत्येक राज्य को दी गई मात्रा का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है। (नीचे देखिए)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों, जिसमें टीनों में बंद रेपसीड-तेल भी शामिल है, के निर्गम मूल्य इस प्रकार है :—

24–9–84 से 14–11–85 तक

9500/–रु० प्रति मी० टन

15–11–85 से आज तक

10500/– रु० प्रति मी० टन

निर्गम मूल्य में राज्य व्यापार निगम द्वारा लिए जाने वाले प्रशासकीय तथा रख-रखाव प्रभार शामिल है।

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5.96 प्रतिशत से 6.43 प्रतिशत के बीच हानि हुई है, जिसमें से 4.85 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक हुई हानि रेपसीड तेल के परिष्करण तथा उन्हें टीनों में बंद करने के लिए अनुमत संसाधन हानियों के अंतर्गत आ जाती है। शेष हानि मुख्यत. सड़क/रेल परिवहन में होने वाली मार्गस्थ हानि होती है। ये मार्गस्थ हानियां किए गए बीमे के तहत आ जाती है। आयात तथा हानिया सूचित करने वाला विवरण–II पर दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ङ) सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण–I

राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया गया रेपसीड तेल

मात्रा : मी टन में

राज्य	तेल वर्ष		
	1984–85	1985–86	1986–87
1	2	3	4
दिल्ली	6978	8195	8864
हरियाणा	1725	941	2096
हिमाचल प्रदेश	3207	1854	4647
राजस्थान	1201	261	704

1	2	3	4
जम्मू तथा काश्मीर . . .	2111	2359	4992
उत्तर प्रदेश	4318	—	1276
बिहार	101	—	1000
पश्चिम बंगाल	95533	80501	120194
असम	2392	395	2061
अरुणाचल प्रदेश	33	52	150
मणिपुर	3700	3608	611
मिजोरम	1734	1673	2308
मेघालय	6124	2585	2753
नागालैण्ड	3720	155	6470
सिक्किम	655	762	675
त्रिपुरा	349	361	923
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह . .	25	15	—
मध्य प्रदेश	4039	—	—
	137945	105176	165227

विवरण–II

रेपसीड तेल : आयात व हानियां

वित्तीय वर्ष	आयात (मी० टन)	हानियां* (मी० टन)	प्रतिशत हानि
1984–85	2,81,453	17,546	6.23
1985–86	1,66,098	10,672	6.43
1986–87	2,34,699	13,982	5.96

* इसमें वह मात्रा शामिल है, जिसके लिए दावे दाखिल किए गए हैं तथा जिसे हिसाब में ले लिया गया है ।